

(वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2014

**का.नि.आ. 57.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन समूह 'ख' और 'ग' अराजपत्रित (वैज्ञानिक) पद भर्ती नियम, 2004 को, जहां तक उनका संबंध कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्रेणी-I और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्रेणी-II के पदों से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा उत्पादन विभाग में वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में वैज्ञानिक सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ख', वैज्ञानिक पद भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वैज्ञानिक सहायक	22* (2014)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख'	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनधिक
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	अराजपत्रित अननुसचिवीय			<b>टिप्पण 1.</b> केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।



(6)

**टिप्पण 2.** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
--	--	-------------------------------

(7)

(8)

(9)

- (क) कम्प्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम के अधीन पदों के लिए  
 (1) संबंधित क्षेत्र में दो वर्षों के अनुभव के साथ कम्प्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स में बैचलर डिग्री; या  
 (2) संबंधित क्षेत्र में दो वर्षों के अनुभव के साथ कम्प्यूटर विज्ञान इंजिनियरी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियरी में डिप्लोमा या  
 (3) कम्प्यूटर विज्ञान इंजिनियरी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियरी में डिग्री  
 (ख) विद्युत या यांत्रिक स्ट्रीम के अधीन पदों के लिए  
 (1) संबंधित क्षेत्र में दो वर्षों के अनुभव के साथ विद्युत या यांत्रिक इंजिनियरी में डिप्लोमा; या  
 (2) विद्युत या यांत्रिक इंजिनियरी में (डिग्री)  
 (डिग्री या डिप्लोमा जैसा लागू है मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से होगा)

लागू नहीं होता

दो वर्ष

**टिप्पण 1 :** अपेक्षित विद्याशाखा प्रत्येक भर्ती के समय उपदर्शित की जाएगी।

**टिप्पण 2 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

**टिप्पण 3 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।



**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा की प्रतिशतता

(10)	(11)
सीधी भर्ती के द्वारा	लागू नहीं होता
<b>टिप्पण :</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।	
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति ( पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए ) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—	लागू नहीं होता।
1. अतिरिक्त महानिदेशक, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय	—अध्यक्ष
2. निदेशक या समतुल्य, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय	—सदस्य
3. उपनिदेशक या समतुल्य, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय	—सदस्य

[ फा. सं. 2523/आर आर/जे एस ए (एस ए)/डी जी ए क्यू ए/प्रशा. II/ डी (एच ए एल) ]

इंद्रजीत सेठी, अवर सचिव

(DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE)

New Delhi, the 28th August, 2014

**S.R.O. 57 .—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Department of Defence Production, Group 'B' & 'C' Non-Gazetted (Scientific) posts Recruitment Rules, 2004, in so far as they relate to the posts of Junior Scientific Assistant Grade-I and Junior Scientific Assistant Grade-II except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Scientific Assistant in the Directorate General of Aeronautical Quality Assurance in the Department of Defence Production under Ministry of Defence, namely :—

**1. Short title and commencement.** —(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Group 'B', Scientific Post Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.



**2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Scientific Assistant	22* (2014) *Subject to variation dependent upon workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 plus grade pay of Rs. 4200	Not applicable	Not exceeding thirty years. <b>Note 1:</b> (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). <b>Note 2 :</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).



Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
---	---	-----------------------------

(7)

(8)

(9)

(A) For posts under Computer Science or Electronics stream :

Not applicable

Two years

(I) Bachelor's degree in Computer Science or Electronics with two years experience in related field; or

(II) Diploma in Computer Science Engineering or Electronics Engineering with two years experience in related field; or

(III) Degree in Computer Science Engineering or Electronics Engineering.

(B) For posts under Electrical or Mechanical stream :

(I) Diploma in Electrical or Mechanical Engineering with two years experience in related field; or

(II) Degree in Electrical or Mechanical Engineering.

(The degree or diploma as applicable shall be from a recognised University/institute.)

**Note : 1-** The required discipline will be indicated at the time of each recruitment.

**Note : 2-** Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

**Note : 3-** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

**Method of recruitment :** whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion /deputation/absorption, grades from which promotion / deputation/absorption to be made

(10)

(11)

By direct recruitment through

**Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on

Not applicable



(10)

deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officer of Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

**Group 'B' Departmental confirmation Committee**

Not applicable.

(for considering confirmation) consisting of :—

1. Additional Director General, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance —Chairman
2. Director or equivalent from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance —Member
3. Deputy Director or equivalent from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance —Member

[F. No. 2523/JSA/(SA)/DGAQA/Adm-II/D(HAL)]

INDERJEET SETHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2014

**का.नि.आ. 58.**—छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 348 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 66 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित कुछ उप नियमों का प्रारूप उपर्युक्त अधिनियम की धारा 319 के साथ पठित धारा 69 के अन्तर्गत इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी हेतु एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रारूप उप नियमों पर सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों पर अथवा इस अवधि की समाप्ति पर विचार किया जाएगा।

2. उपर्युक्त उप नियमों की प्रति [www.punecantonmentboard.org](http://www.punecantonmentboard.org) वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा इसे छावनी बोर्ड, पुणे के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया गया है और इसे छावनी बोर्ड, पुणे के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

3. उपर्युक्त तीस दिनों की अवधि में उपर्युक्त उप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किसी भी आक्षेप तथा सुझाव पर छावनी बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा।

4. आक्षेपों तथा सुझावों को मुख्य अधिशासी अधिकारी, पुणे छावनी बोर्ड, गोलीबार मैदान, शंकर सेठ रोड, पुणे - 411001 को भेजा जाएगा।

[फा. सं. 53/10/एल बी टी/पुणे/सी/र सं/13]

एस. के. झा, अवर सचिव